

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं.191/1/2017(प्रतिनि.) (दस्तावेज)/परिपत्र/ईसीआई/प्रकार्या/प्रशासनिक

दिनांक: 02.08.2017

परिपत्र

विषय: भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में उपनिदेशक(आई.टी. समन्वय) के 01 (एक) पद को पे मैट्रिक्स के लेवल II [रू.67,700-2,08,700] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

भारत निर्वाचन आयोग में उप निदेशक (आई.टी. समन्वय) के 01 (एक) पद को पे मैट्रिक्स के लेवल II [रू.67,700-2,08,700] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय/राज्य सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) तथा सांविधिक एवं स्वायत्त इकाई के ऐसे अधिकारी जो अंतिम तारीख अर्थात् 17.08.2017 को 56 वर्ष से कम आयु के हैं और जो निम्नलिखित अर्हताएं/पात्रता रखते हैं वे प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

अनिवार्य

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण करते हों; या
(ii) पे मैट्रिक्स [पे बैंड-3, 15600-39100, ग्रेड वेतन रू.5400/- सहित (संशोधन-पूर्व वेतनमान) के लेवल 10 (रू.56,100-1,77,500) में 4 (चार) वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से स्नातक उपाधि धारण करते हों; और

और

- (ग) बड़ी परियोजनाओं के समन्वय तथा कार्यान्वयन में कम से कम 02(दो) वर्ष का अनुभव।
2. निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-1) में आवेदन प्रधान सचिव (प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को अनिवार्यतः उचित माध्यम से 17.08.2017 को या उससे पहले अग्रेषित किए जा सकते हैं। अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनों, उचित माध्यम से प्राप्त नहीं किए गए आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (i) संबंधित अधिकारी की पिछले 03 (तीन) वर्षों के एपीएआर/एसीआर की अनुप्रमाणित प्रतियां।
(ii) सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र।
(iii) पिछले दस वर्षों में अधिरोपित शास्तियां, यदि कोई हों तो उसका विवरण।

3. द्विपक्षीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चयनित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की वेतन एवं शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 0.6/8/2009-स्था.(वेतन-1।), समय समय पर यथा-संशोधित, में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन या विशेष सेवाओं के लिए तत्समय लागू डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

4. उक्त पद के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय परिपत्र वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी.सी. पात्रा)
सचिव
दूरभाष: 23052079

सेवा में:

(i) सभी मंत्रालयों/किन्द्र/राज्य सरकार के विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में इसे परिचालित करें।